कौशल विकास एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

विवरण–पत्रिका

दाखिला सत्र

2019

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने की अवधिः

27.06.2019 से 12.07.2019

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने के लिए निम्नलिखित वेबसाईट पर जांएः

www.itiharyana.gov.in

निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

प्लॉट नं0 आई0पी0–2, सैक्टर–3, नजदीक माजरी चौक, पंचकूला

नोटः प्रार्थी दाखिला फार्म भरने से पहले विवरण पत्रिका को पूर्ण रुप से पढ़ें।

दस्तकार प्रशिक्षण योजना

1. परिचयः

औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ोतरी के कारण विभिन्न उद्योगों में निपुण कारीगरों की मांग निरन्तर बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने तथा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा युवक/युवतियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि औद्योगिक इकाईयों हेतु कुशल कारीगर उपलब्ध हों व प्रशिक्षण उपरान्त युवक/युवतियाँ अपना रोजगार स्वयं स्थापित करने के योग्य बनें। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सह–शिक्षा), राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा एक मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरूग्राम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

हरियाणा राज्य मे स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह–शिक्षा संस्थान)	137
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल (महिलाओं के लिए)	33
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह–शिक्षा संस्थान)	234
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल (महिलाओं के लिए)	4
कुल राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	404
संस्थानों में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें (सत्र 2019–20 में) प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है	78
प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटें	85428

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैः–

(क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
(ख) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

1.1 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme)

उद्देश्य :

(क) भिन्न–भिन्न व्यवसायों में उपयोगी एंव कुशल कारीगर उपलब्ध करवाना।
(ख) कारीगरों को उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान कर औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को उंचा उठाना।
(ग) युवकों तथा युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर स्व–रोजगार के योग्य बनाना।
(घ) अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाकर बाजार में कारीगरों की मांग को पूरा करना।
(ड़) बहुआयामी तथा बहुकुशल पाठ्क्रमों को चलाकर संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन करना।
(च) कार्यरत कारीगरों का परीक्षण तथा प्रमाणीकरण करते हुए श्रम बाजार में मानकीकरण करना।

1.2 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (Apprenticeship Training Scheme)

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवक/युवतियों को भिन्न–भिन्न प्रतिष्ठानों में भिन्न–भिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधाएं देने से है ताकि शिक्षु व्यावहारिक कार्य में उच्च दक्षता हासिल कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षुता अधिनियम 1961 लागू हुआ जिसके अन्तर्गत सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्रत्येक नामांकित व्यवसाय में शिक्षु लगाना संवैधानिक कानूनी दायित्व है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पास शुद्धा छात्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह अपनी कुशलता स्तर में सुधार ला सके। इस प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने उपरांत छात्र/छात्राओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षु लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने उपरांत उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। सभी शिक्षुओं के लिए निर्धारित वर्तमान वेतन की संशोधित दरें दिनांक 22 सितम्बर 2014 से निम्न प्रकार से लागू हैः

प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित अर्द्ध कुशल कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी का 70 प्रतिशत
प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित अर्द्ध कुशल कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी का 80 प्रतिशत
प्रशिक्षण के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान	हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित अर्द्ध कुशल कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी का 90 प्रतिशत

2. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत दाखिला

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2019–20 के दाखिले के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाईन दाखिले की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों (ट्रेडों) में दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक युवक तथा युवतियां विभाग की वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में केवल युवतियां ही दाखिला ले सकती हैं। दाखिले के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से उत्तीर्ण की गई हो अथवा हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड/यूनिवर्सिटी से प्राप्त अथवा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के समकक्ष होनी अनिवार्य है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समकक्ष अन्य राज्य के शिक्षा बोर्ड की सूची विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

2.1 दाखिले हेतु योग्यताएं

(i) शैक्षणिक योग्यता तथा पात्रताः– अभियान्त्रिकी (Engineering) एवं गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायों में दाखिले हेतू निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता Annexure–A के अनुसार होनी अनिवार्य है। यदि कोई प्रार्थी Annexure–A के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता तो वह दाखिले का पात्र नहीं होगा।

नोटः– प्रशिक्षण निदेशालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं रखी गई है।

(ii) पहले से ही पूर्णकालिक रूप से किसी संस्थान में कार्यरत/नियुक्त प्रार्थी अपने नियोक्ताओं से अध्ययन अवकाश प्राप्त किए बिना दाखिले के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए दाखिले के समय नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वंय जिम्मेवार होगा।

(iii) प्रार्थियों को व्यवसाय विशेष जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण करने के इच्छुक हैं, के लिये निर्धारित मापदण्डों अनुसार शारीरिक सक्षम होना अनिवार्य है। इस बारे व्यवसायवार सूची (indicating suitability to Differently abled persons) विभागीय वैबसाईट (www.itiharyana.gov.in) पर उपलब्ध है तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस दर्शाई गई सूची अनुसार ही अपने व्यवसाय का चयन करें।

(iv) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे व्यवसाय पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम् हैं तथा छात्र प्रशिक्षण की कार्यकारी अवधि में किसी अन्य विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो प्रार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जायेगा।

2.2 आयु

सभी व्यवसायों में दाखिले हेतु प्रार्थी की आयु 01 अगस्त, 2019 को कम से कम 14 वर्ष होनी अनिवार्य है। आयु की ऊपरी सीमा मे पूर्णतया छूट है।

2.3 दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (Dual System of Training)

सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भिन्न–2 व्यवसायों में 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते किए गए हैं। सत्र 2019–20 में इस प्रणाली के अन्तर्गत दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवार व्यवसाय यूनिटों की सूची Annexure-'B' पर उपलब्ध है। इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिला प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमे की एक वर्षीय कोर्स के लिए 3–6 माह अवधि का तथा दो वर्षीय कोर्स के लिए 6 से 12 माह अवधि का प्रशिक्षण संस्थान में प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात कोर्स की शेष अवधि में On Job Training संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में करवाई जाएगी। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिले हेतु प्रार्थी को (01.08.2019) आयु एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी अनिवार्य है।

(i) प्रार्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ii) प्राथी शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए तथा On Job Training पर जाने से पहले वे संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया मूल मैडिकल प्रमाण–पत्र जिसमें की Blood Pressure, Chest X-ray, B.M.I., Colour Blindness etc. की जांच की गई हो, को प्रस्तुत करेंगे।

(iii) On Job Training के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिला प्राप्त प्रार्थियों की सूझबूझ एवं मनोभाव का विशलेषण संबंधित प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा जिसके लिए प्रत्येक प्रार्थी से पारस्परिक विचार–विमर्श किया जाएगा। इस विचार–विमर्श के आधार पर ही किसी प्रार्थी को On Job Training के लिए चुना जाएगा अथवा प्रार्थी को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

नोट 1: हरियाणा राज्य में आई. टी. आई. पास छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए सुअवसर उपलब्ध है। इस विषय में तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचना नं0 38/9/06–2 टी0ई0 दिनांक 24 फरवरी 2006 के अनुसार आई.टी.आई. पास छात्र/छात्राएं बहुतकनीकी शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाये गये डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लेटरल एंटरी (Lateral Entry) के तहत सीधे द्वितीय वर्ष में दाखिला ले सकते हैं, जिसके लिये विस्तृत हिदायतें तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा से प्राप्त की जा सकती हैं।

नोट 2: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी पत्र कं0 6998/EW/A-III dated 28.02.2019 अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित एक तथा दो वर्षीय कोर्स को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सीनियर सैकेण्डरी एवं सैकेण्डरी कक्षाओं की समकक्षता निम्न शर्तों अनुसार प्रदान की हैं:–

(i) दसंवी के पश्चात दो वर्षीय कोर्स को 10+2 की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।

(ii) इसी प्रकार कक्षा दसंवी के पश्चात एक वर्षीय कोर्स के आधार पर विभाग द्वारा एक वर्ष के शिक्षुता प्रमाण पत्र को शामिल करते हुए 10+2 की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा उत्तीर्ण करने उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।

(iii) कक्षा आठवीं के आधार पर प्रवेश उपरांत जिन कोर्सिज की समय अवधि दो वर्ष की है ऐसे कोर्सिज को भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी (दोनों विषय) (सैकेण्डरी परीक्षा) भाषाओं की परीक्षा जिस वर्ष अतिरिक्त विषय के तौर पर उत्तीर्ण कर लेंगें।

(iv) कक्षा आठवीं के आधार पर प्रवेश उपरांत जिन कोर्सिज की समय अवधि एक वर्ष की है, कोर्स की समाप्ति उपरांत ऐसे प्रशिक्षुओं को एक वर्ष तक शिक्षुता प्रशिक्षण करवाया जाता है। ऐसे कोर्सिज को भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी (दोनों विषय) (सैकेण्डरी परीक्षा) भाषाओं की परीक्षा जिस वर्ष अतिरिक्त विषय के तौर पर उत्तीर्ण कर लेंगें।

उक्त वर्णित कोर्सिज को परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण करने एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरा करने उपरांत ही बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी / सैकेण्डरी कक्षा के समकक्ष मान्यता होगी।

3. दाखिला

सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत दाखिला राज्य स्तरीय सयुंक्त योग्यता सूची के आधार पर चार या अधिक ऑनलाईन कांउसलिंग दाखिला चरणों में किया जाएगा तथा दाखिला फार्म ऑनलाईन पोर्टल www.itiharyana.gov.in पर केवल एक ही बार भरा जाएगा। चार केन्द्रीयकृत दाखिला चरणों के पश्चात भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती है तो नये आवेदन लेने बारे विचार किया जा सकता है।

पहले 3 ऑनलाईन दाखिला चरण केवल हरियाणा वासी प्रार्थियों के लिए है। चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर 4 अवसर प्रदान करने उपरान्त भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इन रिक्त सीटों के प्रति दाखिला सम्बन्धित संस्थान स्तर पर ही योग्यता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार के दाखिले हेतु पूर्ण सूचना दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

नोट: विभाग द्वारा दाखिला प्रक्रिया में किसी भी समय पर किसी भी संस्थान में चल रहे व्यवसाय यूनिटों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, किसी व्यवसाय को बंद एवं नया व्यवसाय भी चलाया जा सकता है। दाखिला प्रक्रिया के दौरान नये राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किये जा सकते हैं। इस प्रकार की किसी भी सूचना के लिए दाखिला पोर्टल का नियमित अवलोकन करें।

3.1 दाखिले हेतु योग्यता का निर्धारण

3.1.1 जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए योग्यता दसवीं के कुल प्राप्त प्रतिशत अकों से ही निकाली जाएगी तथा जिन व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए योग्यता 10+2 के कुल प्राप्त प्रतिशत अकों से ही निकाली जाएगी। दसवीं कक्षा की परीक्षा के प्राप्त अंक भरने के लिए केवल श्रेष्ठ 5 विषयों के कुल अंक/प्राप्त अंक का योगफल ही दाखिला आवेदन पत्र मे भरा जाए।

यदि बोर्ड द्वारा जारी की गई अंकतालिका में प्रार्थी के अंक CGPA में दिए गए हैं तो आवेदन–फार्म भरते समय CGPA को सम्बन्धित बोर्ड के CGPA to % age factor से गुणा करते हुए अंको का प्रतिशत निकाला जाएगा। प्रार्थी अपनी अंकतालिका से देखते हुए इस गुणक factor को आवेदन फार्म में भरेंगे। प्रार्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वह अपने अंकतालिका या अपने बोर्ड की वैबसाईट से इस गुणक factor के बारे में अच्छी तरह जांच

पड़ताल कर लें। यदि प्रार्थी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के भरे गये गलत CGPA factor **की वजह से मैरिट कम या ज्यादा बनती है तथा इस कारण प्रार्थी का दाखिला किसी भी स्तर पर रद्द होता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।**

3.1.2 प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), भारत सरकार के पत्र क्र0 MSDE-02/01/2015-CD dated 15-06-2015 अनुसार जिन व्यवसायों के लिए पहले प्रवेश योग्यता 'गणित व विज्ञान के साथ दसवीं पास' थी, उसे 'गणित व विज्ञान विषय के अध्ययन के साथ' दसवीं पास' कर दिया गया है।

3.1.3 दाखिले के लिए तैयार की गई योग्यता सूची में अंको की समानता होने पर छात्र/छात्राओं को व्यवसाय की न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मे निम्नलिखित विषयों मे प्राप्त अकों के आधार पर योग्यता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी :–

- प्रथम निर्णायकः– जिस प्रार्थी के गणित विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- द्वितीय निर्णायकः–जिस प्रार्थी के विज्ञान विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- तृतीय निर्णायकः–जिस प्रार्थी के अंग्रेजी विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1.4 इसके पश्चात भी कोई नतीजा प्राप्त न होने की स्थिति में ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी जिसकी आयु अधिक हो।

3.1.5 उपरोक्त बिन्दु नं0 4 में भी समानता होने पर उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.6 उपरोक्त 3, 4 व 5 बिन्दुओं पर समानता होने पर ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पिता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.7 उपरोक्त 3, 4, 5 व 6 बिन्दुओं पर समानता होने की स्थिति में उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.8 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के व्यवसायों में आवेदन करने वाले 10+2 पास प्रार्थियों को उच्च शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्नअनुसार हैः–

- 10+2 में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त प्रार्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।
- 10+2 मे 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।

3.1.9 जिन व्यवसायों में दाखिले हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास है, ऐसे व्यवसायों में प्रार्थियों को सिद्धांत रुप में उच्च शैक्षणिक योग्यता (स्नातक डिग्री) के 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

3.1.10 दाखिले के लिए आवेदन करने वाली विधवा/विधवाओं के बच्चों को योग्यता सूची में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

नोटः1 यदि कोई प्रार्थी उक्त दोनों श्रेणीयों में अधिमान का पात्र बनता है तो उसे दोनों अधिमान प्रदान की जांएगी।

नोटः2 सभी संस्थानो के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत दाखिला चार मुख्य चरणों में किया जाएगा। ऑनलाईन कांउसलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र एक ही बार, शुरूआत मे आमंत्रित किए जाएगें। पहले तीन चरणो में दाखिले हेतु एक ही योग्यता सूची (जो प्रथम दाखिले के समय बनाई जाएगी) लागू रहेगी। चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी दाखिला प्रक्रिया के लिए स्वीकार किए जाएंगे। यदि चार ऑनलाईन काउंसलिंग के बाद भी संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तब अन्तिम दाखिला सम्बन्धित संस्थान स्तर पर मैरिट आधार पर किया जाएगा जिसके लिए सूचना विभाग की वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

3.2 दाखिले के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

3.2.1 प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र भरने से पहले दाखिला वैबसाईट पर दिए गए नमूना पत्र को भरें ताकि मुख्य फार्म को भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका न रहे।

3.2.2 विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती है। अतः प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह संस्थान का चयन सावधानी पूर्वक करें।

3.2.3 ऑनलाईन दाखिला कांउसलिंग में भाग लेने के लिए प्रार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा जो कि निम्न प्रकार से हैः–

- सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100/– रू0 (non refundable) शुल्क लिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (EWS) के प्रार्थियों से 50/– रू0 (non refundable) शुल्क लिया जाएगा।
- महिला प्रार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रार्थी द्वारा Net banking / Credit card / Debit card एवं विभाग द्वारा जारी किए गए स्क्रैच कार्ड द्वारा भी कांउसलिंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

प्रार्थी, सरकार द्वारा अनुमोदित ग्राहक सेवा केन्द्रों (Customer Service Center) पर 50/– रू0 अतिरिक्त शुल्क सहित दाखिले के लिए आनॅलाईन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य में स्थित CSCs की सूची विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है।

3.2.4 प्रदेश में स्थित राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे व्यवसाय DGT भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से एवं राज्य सरकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) के अधीन संचालित हैं।

3.2.5 प्रार्थियों को SCVT तथा NCVT व्यवसायों में प्रवेश हेतु अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन–पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म के अन्तर्गत दोनों ही प्रकार के व्यवसायों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।

3.2.6 प्रार्थी विवरण पुस्तिका को भली–भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरें। त्रुटि–पूर्ण भरे गये ऑनलाईन आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे त्रुटि–पूर्ण भरे गए ऑनलाईन आवेदन के प्रति कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3.2.7 ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट (Printout) की एक प्रति प्रार्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

3.2.8 ऑनलाईन आवेदन पत्र को निर्धारित फीस भरकर जमा करवाने उपरांत प्रार्थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकेंगे। यदि फार्म में गलती हो गई है या उसमें संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में पुराने भरे गए फार्म को रद्द करने उपरान्त ही नया फार्म भरा जा सकता है जिसके लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा।

3.2.9 राजकीय (महिला)/निजी (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 100 प्रतिशत सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं तथा अन्य सभी संस्थान सह शिक्षण (co-education) संस्थानो में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।

3.2.10 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अभियान्त्रिकी (Engineering), गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायों का पूर्ण पाठ्यक्रम छमाही (semester) आधारित होगा (प्रत्येक समैस्टर 6 मास की अवधि का होगा)।

3.3 सीट आवंटन प्रक्रिया

आगामी प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में दाखिला हेतु राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

3.3.1 ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय प्रार्थी हरियाणा प्रदेश में किसी भी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के किसी भी व्यवसाय (SCVT / NCVT से सम्बद्ध) के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर एवं व्यवसायवार आरक्षण के आधार पर सीटों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।

3.3.2 प्रार्थी को कांउसलिंग पोर्टल पर अलग–अलग व्यवसायों/संस्थानों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा ताकि वह अपनी पंसद अनुसार विकल्पों को भरें तथा भरे हुए विकल्पों को वरीयता के क्रम में लगाते हुए ऑनलाईन दाखिला पोर्टल पर जमा करें।

3.3.3 प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये संस्थान/व्यवसायों के विकल्प में से प्रार्थी की योग्यता के आधार पर भरे हुए विकल्पों में से वरीयता क्रमानुसार व्यवसाय/संस्थान में रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी।

3.3.4 ऑनलाईन कांउसलिग पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश स्तर पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग–2 योग्यता सूची तैयार की जायेगी। जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है उन व्यवसायों के लिए दसवीं में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाएगी तथा जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास है उन व्यवसायों के लिए 10+2 में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाएगी। एक बार बनाई गई योग्यता सूची अगले दाखिलों तक मान्य होगी।

3.3.5 ऑनलाईन दाखिला आवेदन पत्र में प्रार्थी (लड़के/लड़कियां) अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं।

3.3.6 प्रार्थी को व्यवसाय/संस्थान का आवंटन उसकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक (अतिरिक्त अधिमान अंक यदि कोई हो को जोड़ते हुए) अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर चुने हुए विकल्पों में से ही किया जायेगा।

नोट 1 Directorate General of Training, New Delhi (प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार), द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यवसायों की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायवार, प्रशिक्षण अवधि का ब्यौरा मार्ग दर्शन हेतु Annexure-A पर उपलब्ध हैं, जिसमें कि DGT, New Delhi द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने पर चयनित प्रार्थी को तदानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

नोट 2 यह आवश्यक नहीं है कि प्रार्थी द्वारा दाखिला फार्म में व्यवसाय/संस्थानों के अधिकतम विकल्प भरने के उपरांत भी भरे हुए विकल्पों मे से किसी विकल्प पर प्रार्थी को दाखिला मिले। प्रार्थी का दाखिला मैरिट सूची में प्राप्त की गई रैंक एवं संबंधित व्यवसाय में उस रैंक पर सीटों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा।

4. ऑनलाईन कांउसलिंग दाखिला प्रकिया

4.1 प्रथम कांउसलिंग चरण

4.1.1 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा सत्र 2019–20 में दाखिले हेतु आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार, व्यवसायवार, किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चल रहे व्यवसाय एवं वर्गवार सीटों का विवरण उपलब्ध है जिसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा।

4.1.2 दाखिले के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर प्रदेश स्तरीय अलग–2 योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

4.1.3 प्रथम दाखिला चरण में किसी भी संस्थान/व्यवसाय में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए योग्यता सूची के क्रम अनुसार प्रार्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक प्रार्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय/संस्थान के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी योग्यता के आधार पर उसके द्वारा योग्यता क्रम में चिन्हित व्यवसाय/संस्थान में सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो प्रार्थी के आरक्षण वर्ग (यादि कोई लागू हो तो) (if applicable) के आधार पर सीट आवंटन का प्रयास किया जाएगा। उसके द्वारा योग्यता क्रम में चिन्हित अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी जब तक उसके द्वारा चिन्हित समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में कोई सीट उपलब्ध न रहे।

4.1.4 तत्पश्चात योग्यता सूची मे अगली वरीयता क्रम के प्रार्थी के लिए यहीं प्रक्रिया दोहरायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त प्रार्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।

4.1.5 प्रार्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के अनुसार की गई सीट आवंटन का परिणाम तैयार करवाने उपरांत वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

4.1.6 प्रथम कांउसलिंग चरण में सीट आवंटित होने के बाद प्रार्थी को दाखिले की पुष्टि करने के लिए सम्बन्धित संस्थान में अपने सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि प्रार्थी आवंटित की गई सीट पर दाखिला लेने का इच्छुक नहीं है तो इस स्थिति में भी प्रार्थी को सम्बन्धित संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपने सभी दस्तावेजों की जांच–पड़ताल करवानी है। **प्रार्थी द्वारा सीट आवंटित होने के पश्चात दाखिले के लिए संस्थान में मूल–प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत न होना तथा दाखिला न लेने की स्थिति में दस्तावेजों की जांच–पड़ताल न करवाए जाने पर ऐसे आवेदनों को अगले कांउसलिंग चरणों से बाहर कर दिया जाएगा तथा उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी।** इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

4.1.7 यदि प्रथम कांउसलिंग चरण के पश्चात प्रार्थी द्वारा अपनी आवंटित की गई सीट पर दाखिला न लेते हुए केवल मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करवा लिया जाता है तो वह अगले कांउसलिंग चरण में भाग ले सकते हैं तथा सीट आवंटित होने के उपरान्त भी उन्हें अपने सभी मूल–प्रमाण पत्र दाखिले के समय पुनः प्रस्तुत करने होंगे क्योंकि सीट आंवटन का आधार भिन्न हो सकता है।

4.2 द्वितीय कांउसलिंग चरण

4.2.1 प्रथम कांउसलिंग चरण के उपरान्त संस्थानवार/व्यवसायवार रिक्त सीटों का विवरण दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रार्थियों द्वारा व्यवसाय/संस्थान का विकल्प पुनः भरने हेतु सूचना दाखिला वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

4.2.2 द्वितीय चरण की कांउसलिंग में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रार्थी को दाखिला पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक अपनी सहमति देनी अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि वे अपने आवेदन फार्म में भरे गए संस्थान/व्यवसाय का

विकल्प बदलना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि तक ऐसा कर सकते हैं। द्वितीय कांउसलिंग चरण के लिए ऐसे सभी आवेदनों को स्वतः लिया जाएगा जिन्हें प्रथम कांउसलिंग चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। यदि कोई प्रार्थी नया विकल्प नहीं चुनता, तो उसके ऑनलाईन आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विकल्पों पर ही उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय/संस्थान आवंटित कर दिया जायेगा।

4.2.3 यदि कोई प्रार्थी जिसे प्रथम कांउसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा कांउसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नही किया जाएगा। द्वितीय कांउसलिंग में सीट आवंटन की पूरी प्रकिया प्रथम चरण की भांति की जायेगी।

4.3 तृतीय कांउसलिंग चरण

द्वितीय कांउसलिंग के बाद सभी सह–शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

4.3.1 यदि किसी प्रार्थी को प्रथम या द्वितीय कांउसलिंग में सीट आंवटित हो चुकी है वह भी दोबारा तृतीय कांउसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे पूर्व में आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.4 चतुर्थ कांउसलिंग चरण

तीसरे दाखिले के उपरान्त सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों (पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS)/अनुसूचित जाति वर्ग/दिव्यांग) की रिक्त रह गई सीटों को चतुर्थ दाखिले हेतु सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

4.4.1 चतुर्थ कांउसलिंग चरण की समस्त कार्यवाही पहले किए गए काउंसलिगं चरणों की भांति ही की जायेगी।

4.4.2 यदि किसी प्रार्थी को जिसे प्रथम, द्वितीय या तृतीय कांउसलिंग में सीट आंवटित हो चुकी है वह भी दोबारा दाखिला कांउसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे पूर्व में आंवटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.5 दाखिले हेतु महत्वपूर्ण सूचना

4.5.1 *100 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी युवक/युवतियों से भरी जानी हैं यद्यपि तीसरे दाखिलों के बाद अन्य सभी राज्यों के निवासियों के लिये भी दाखिला खोल दिया जायेगा।*

4.5.2 *ऑनलाईन विकल्प आधारित दाखिला प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न की जायेगी। प्रदेश में निर्धारित कांउसलिंग चरणअनुसार अन्तिम प्रवेश तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रार्थी का प्रवेश सम्भव नहीं होगा। विवरणी में दर्शाये गये किसी भी संस्थान/व्यवसाय में दाखिले आदेश को वापिस लेने का अधिकार कौशल विकास एवं औद्यागिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के पास सुरक्षित रहेगा।*

4.5.3 विभाग द्वारा "ITI Haryana" नाम से एक Mobile App तैयार की गई है जो कि Android व IOS आधारित सभी मोबाईलों के Play store पर उपलब्ध है। इस Mobile App के माध्यम से आम नागरिक हरियाणा राज्य में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी जैसे की जिला वार चलाए जा रहे संस्थान, उनमे चलाए जा रहे व्यवसायों तथा संस्थान एवं निदेशालय स्तर पर सम्पर्क हेतु दूरभाष नं0 इत्यादि बारे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त Mobile App के माध्यम से विभिन्न दाखिला चरणों में हो रहे दाखिले की नवीनतम स्थिति भी देखी जा सकती है।

5 दाखिला सत्र

संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की अवधि 01 अगस्त 2019 से आरम्भ होगी तथा नियमित कक्षाएं 01 अगस्त 2019 से आरम्भ होंगी। 01 अगस्त 2019 के पश्चात दाखिला प्राप्त प्रार्थियों को दाखिले के अगले दिन से ही नियमित कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि इस संदर्भ में DGT, भारत सरकार द्वारा कोई दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं तो उस बारे सूचना विभागीय वैबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

6 दाखिला प्रकिया

विभागीय ऑनलाईन काउंसलिंग वैबसाईट पर निर्धारित तिथि को योग्यता सूची के प्रदर्शन के पश्चात प्रार्थी अपना सीट आवंटन पत्र (allotment letter) प्रिंट कर सकते है। इस पत्र में प्रार्थी को आवंटित किए गए व्यवसाय एवं संस्थान का विवरण होगा तथा प्रार्थी को निर्धारित समय सीमा अनुसार सम्बन्धित संस्थान में दाखिले के लिए प्रस्तुत होना होगा। आवेदकों को दाखिले के लिये अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे जाएंगे। संस्थानों में दाखिले हेतु आवश्यक कार्यवाही निर्धारित तिथि को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ की जाएगी और निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पूर्ण कर ली जाएगी।

अलग–2 कांउसलिग चरणों मे निर्धारित तिथियों पर प्रार्थियों को संबंधित संस्थान में दाखिले के समय अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, चरित्र तथा आरक्षण सम्बधी सभी प्रमाण–पत्र मूल रूप में साथ लाने होंगे। चयन होने पर प्रार्थियों से उसी समय निर्धारित शुल्क लेकर दाखिला दे दिया जाएगा। यदि कोई प्रार्थी दाखिले के समय अपने मूल प्रमाण पत्र संस्थान की दाखिला कमेटी को जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसके दाखिले पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा। इन मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रार्थी की योग्यता की जांच की जाएगी तथा योग्य पाए जाने पर ही दाखिले हेतु विचार किया जाएगा। दाखिले के समय प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र मे भरी गई सूचना के सत्यापन हेतु सभी प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के प्रति आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत न किए जाने कि स्थिति में प्रार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

यदि कोई प्रार्थी जिसे कांउसलिंग में सीट आवंटित की गई है परन्तु वह निर्धारित तिथि तक संस्थान में दाखिले हेतु उपस्थित नहीं होता तथा न ही दाखिला न लेने की स्थिति में अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल के लिए प्रस्तुत होता है तो इस स्थिति में प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रार्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियां सम्बन्धित संस्थान में जमा करवांएगे। संस्थान में प्रार्थी के दाखिला लेने उपरांत दाखिले की पूर्ण सूचना तत्काल प्रभाव से आनॅलाईन पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी।

6.1 **संस्थान में दाखिला उपरान्त उपस्थिति दर्ज करवाना**

प्रत्येक कांउसलिंग चरण में दाखिला प्राप्त सभी छात्र/छात्राएं अपने–2 सम्बन्धित संस्थानों में (जहां उनका दाखिला हुआ है), कार्यालय समय में अपनी उपस्थिति 01 अगस्त 2019 से एवं इस तिथि के पश्चात जिस भी तिथि को दाखिला हुआ है उस तिथि से अपनी उपस्थिति संस्थान में दर्ज करवाएंगें अन्यथा नियमानुसार उनका दाखिला स्वतः रद्द माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। इस प्रकार रिक्त हुई सीटें दाखिले हेतु उपलब्ध होंगी तथा अगले दाखिला चरण में भर ली जायेंगी।

7 **अन्तिम दाखिला**

ऑनलाईन दाखिला काउंसलिंग के चार चरण पूर्ण होने के पश्चात भी यदि राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी रिक्त सीटों के लिए अन्तिम दाखिला केन्द्रीयकृत न होकर संस्थान स्तर पर किया जाएगा। अन्तिम दाखिले के लिए समय सारणी एवं पूर्ण कार्यक्रम विभाग की दाखिला वैबसाईट पर एवं मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अन्तिम दाखिले के लिए रिक्त सीटों की सूची विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. **आरक्षण**

दाखिले हेतू आरक्षण निम्न अनुसार है :–

(i)	अनुसूचित जाति	:	20%	
(ii)	पिछडे वर्ग	:	27%	(16% खण्ड 'ए' के लिए, 11% खण्ड 'बी' के लिए)
(iii)	आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग	:	10%	
(iv)	दिव्यांग	:	04%	(01% Blind/Low Vision, 01% Deaf & Dumb, 01% Locomotors disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, 01% Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness)

नोटः–

8.1 केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

8.2. दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण हेतु उम्मीदवार का न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण–पत्र मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी होना अनिवार्य है।

8.3 दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में दाखिला राजकीय चिकित्साल्य अथवा सक्षम अधिकारी से जारी किए गए मैडिकल प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने की स्थिति में ही दिया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत प्रार्थियों को दाखिला केवल उन्हीं व्यवसायों में दिया जाएगा जो कि प्रार्थी की दिव्यांगता अनुसार उनके लिए उपयुक्त हैं। ऐसे व्यवसायों की सूची विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

8.4 यदि दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उनके स्थान पर 01 प्रतिशत तक भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रितों तथा 01 प्रतिशत तक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दाखिला दिया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक/उनके आश्रितों को दाखिला देने के लिए प्रार्थी को सक्षम अधिकारी/जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8.5 मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरूग्राम में 100 प्रतिशत सीटों पर मूक एवं बधिर प्रार्थियों का दाखिला होगा।

8.6 Further, 3% Horizontal reservation is also provided to Ex-servicemen/Freedom Fighters and their dependents by providing reservation within reservation of 1% of general category, 1% out of scheduled castes and 1% from backward classes category for admission. As far as block allocation in Block A and Block B of Backward Class category is concerned, yearwise rotational system will be adopted e.g. If A Block of Backward classes are given seats in the academic year 2014, the next block i.e. B Block of category of Backward Classes will be given seats in the next academic year i.e. 2015. (Block-B in 2019)

8.7 पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटें यदि खण्ड 'ए' में रिक्त रह जाती है तो वह खण्ड 'बी' के प्रार्थियों से भरी जा सकती है। इसी प्रकार खण्ड 'बी' की रिक्त सीटें खण्ड 'ए' के प्रार्थियों द्वारा भरी जा सकती है। पिछड़े वर्ग की आरक्षित रिक्त सीटें अन्य खण्ड से दूसरे दाखिले के उपरान्त ही भरी जाये।

8.8 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिनमें SCSP योजना (Scheduled Cast Sub Plan) के तहत व्यवसाय यूनिट चलाए जा रहें हैं ऐसी प्रत्येक व्यवसाय यूनिट में 75 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 25 प्रतिशत सीटें अन्य वर्ग के प्रार्थियों से भरी जाएंगी।

8.9 **चरित्र प्रमाण–पत्र**

(i) वर्ष 2019 में शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं) पास करने वाले प्रार्थियों के लिए अपने अंतिम शिक्षण संस्थान के मुखिया से बनवाया गया चरित्र प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ii) ऐसे प्रार्थी (केवल पुरूष) जिन्होंने दाखिले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2019 से पहले उत्तीर्ण की है वे अंतराल अवधि (Gap period) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर दाखिले के समय प्रस्तुत करेंगे। महिला प्रार्थी केवल अंतिम शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगी।

9. **महिलाओं के लिए आरक्षण**

सभी सह–शिक्षण राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सभी वर्गों में दाखिले में आरक्षण (horizontal) निम्नानुसार है :–

9.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो यूनिट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए चल रहे है उनमें केवल महिलाओं का ही दाखिला होगा।

9.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टैनों हिन्दी तथा स्टैनों अंग्रेजी व्यवसायों में पहले की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।

9.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसायों में महिलाओं के लिए दाखिले में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित है।

9.4 सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2018–19 से सभी सह–शिक्षण संस्थानों में चल रहे Basic Cosmetology व्यवसाय में केवल महिला प्रार्थियों का ही दाखिला किया जाएगा।

10. **संस्थानों हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने वाली पंचायतों को दाखिले में लाभ**

जिन ग्राम पचांयतों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षो के लिए पट्टे पर दी है, ऐसी ग्राम पंचायतों को संबंधित संस्थान की प्रत्येक व्यवसाय यूनिट में योग्यता के आधार पर एक छात्र को दाखिले के लिए मनोनीत करने का अधिकार होगा बशर्ते कि ऐसे छात्रों की कुल संख्या 10 से अधिक न हो। ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत छात्र उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का हो तथा दाखिले हेतु अन्य सभी शर्तें पूर्ण करता हो। ग्राम पंचायतें मनोनीत किए जाने वाले छात्रों की सूची एवं सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य को दाखिले हेतु आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि से पूर्व सौंपेगी। इन सीटों के प्रति दाखिला संस्थान स्तर पर होगा तथा यह दाखिला ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

11. भारत सरकार की "Upgradation of 1396 Govt. ITIs through Public Private Partnership" योजना के अन्तर्गत जिन 52 संस्थानों का उन्नयन (upgrade) किया जा रहा है, उन संस्थानों में चल रहे सभी व्यवसाय

यूनिटों की 20 प्रतिशत सीटों पर दाखिला संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) कोटे का होगा। इन सीटों पर दाखिले के लिए प्रार्थी को सामान्य सीटों के लिए वसूल किए जाने वाला शुल्क, निधि, प्रतिभूति आदि के अतिरिक्त 600/–रु0 प्रति माह का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 600/–रु0 प्रति माह की यह फीस संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) के खाते में जमा होगी। इस दाखिले हेतु मूल योग्यता सूची व आरक्षण प्रणाली यथावत लागू होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन कांउसलिंग प्रकिया से होगा तथा आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी को इन संस्थानों में सामान्य शुल्क की एवं संस्थान प्रबंधक कोटे की सीटें अलग–2 प्रदर्शित होंगी (List of 52 PPP Govt. ITIs at Annexure-C).

12. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साल्हावास (जिला झज्जर) की कुल स्वीकृत सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें APCPL Ltd. द्वारा झाड़ली में लगाए गए ताप उर्जा संयत्र (Thermal Power Plant) के कारण विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित होगीं जिनके प्रति दाखिले के लिए उम्मीदवारों को APCPL कम्पनी नामांकित करेगी। नामांकन के दौरान विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण निर्देशों की पालना करनी होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन कांउसलिंग से न होते हुए संस्थान स्तर पर होगा तथा यह दाखिला ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

13. DGT के निर्देशानुसार सत्र 2019–20 से सभी व्यवसाय यूनिटों की प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी की गई है तथा 30 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अतः 12, 16 एवं 20 स्वीकृत सीटों की प्रवेश क्षमता धारी यूनिटों में अब क्रमशः 16, 20 व 24 प्रार्थियों का दाखिला होगा।

14. DGT द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल प्रत्येक छात्र/छात्रा को IT Literacy का निर्धारित पाठ्यक्रम पढना अनिवार्य है।

नोट 1. मेवात निवासियों के लिए मेवात क्षेत्र में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी सीटों के प्रति 50 प्रतिशत आरक्षण है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मेवात के किसी स्कूल से उत्तीर्ण की हो अथवा प्रमाण हेतु अपना रिहायशी प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड मूल रूप में दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा।

15 शुल्क, निधियाँ एवं प्रतिभूतियाँ तथा इनके नियम (राजकीय संस्थानों में)

15.1 शिक्षण शुल्क (Tution fees)

हरियाणा राज्य के मूल निवासी छात्रों को प्रतिमास 15/–रूपये शिक्षण शुल्क व अन्य राज्यों के मूल निवासी छात्रों को प्रति मास 300/– रू0 शिक्षण शुल्क के रूप में देने होंगे। तीन–तीन मास का इकट्ठा शुल्क प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह अर्थात अगस्त, नवम्बर, फरवरी एवं मई मास की 20 तारीख तक जमा करवाना होगा। 21 तारीख से 30 तारीख तक शुल्क दो रूपये प्रतिदिन जुर्माना के साथ जमा किया जा सकता हैं। जो छात्र इस अवधि में भी शुल्क जमा नहीं करवाएंगे उनका नाम बिना सूचित किये संस्थान से काट दिया जाएगा। सभी छात्राओं का शिक्षण शुल्क माफ है।

15.2 छात्रनिधि (Student Fund)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रनिधि 30/– रू0 प्रतिमास की दर से त्रैमासिक फीस के साथ जमा करवाना होगा जो कि अप्रतिदेय (non-refundable) है।

15.3 भवन निधि (Building Fund)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को 120/–रू0 प्रतिवर्ष भवन निधि शिक्षण सत्र के आरम्भ में ही एकमुश्त जमा करवानी होगी। अपने कोर्स के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी भवन निधि प्रतिवर्ष अगस्त मास में 120/– रू0 एकमुश्त पुनः जमा करवानी होगी। यह अप्रतिदेय (non-refundable) है।

15.4 पहचान पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र/छात्रा को दाखिले के समय 10/– रू0 पहचान पत्र के लिए जमा करवाने होंगे। पहचान पत्र खो जाने पर छात्र/छात्रा को शपथ पत्र देना होगा तथा नया पहचान पत्र बनवाने हेतु पुनः 10/–रू0 जमा करवाने होंगे।

15.5 प्रतिभूति (Security)

(i) दाखिले के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिभूति के रूप में 300/– रू0 की राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर यदि कोई सरकारी देय (Govt. Dues) हो, की कटौती करते हुए प्रतिभूति की राशि छात्र/छात्रा को वापिस लौटा दी जाएगी।

(ii) पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए 25/–रू0 प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर यदि कोई सरकारी देय हो, की कटौती करते हुए प्रतिभूति (Security) वापिस लौटा दी जाएगी।

(iii) यदि कोई छात्र/छात्रा प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर चला जाता है या उसका नाम संस्थान द्वारा काट दिया जाता है तो उस अवस्था में जमा करवाई गई प्रतिभूति की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

नोटः– दाखिले के समय ही शिक्षण शुल्क, छात्रनिधि, भवन निधि एवं प्रतिभूति राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य है।

15.6 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क

DGT से प्राप्त निर्देशानुसार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित की गई हैः–

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतुः–

1.	अभियान्त्रिकी (Engineering) व्यवसाय	:	15,000 /– रू0
2.	गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसाय	:	12,000 /– रू0

शहरी क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतुः–

1.	अभियान्त्रिकी (Engineering) व्यवसाय	:	16,500 /– रू0
2.	गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायः		13,200 /– रू0

इसके अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की जानकारी सम्बन्धित संस्थान के स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

16. छात्रवृतियां

संस्थान में प्रशिक्षण अवधि में पात्र प्रशिक्षणार्थियों को निम्न अनुसार छात्रवृतियां दी जाती हैंः–

16.1 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को भारत सरकार की Post Matric Scholarship Scheme के अन्तर्गत 230/–रू0 प्रतिमास छात्रवृति व पूर्ण शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

16.2 सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जाति के हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को Post Matric Scholarship Scheme के अन्तर्गत 230/–रू0 प्रतिमास छात्रवृति व शिक्षण शुल्क (अधिकतम 1000/–रू0 प्रतिमाह) की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

उपरोक्त छात्रवृतियों हेतु प्रार्थी के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रु0 से कम होनी अनिवार्य है।

16.3 सभी राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र /छात्राओं को 160 रू0 प्रति मास छात्रवृति प्रदान की जाती हैं। राजकीय औ0प्रशि0 संस्थानों में दाखिल छात्रों को प्रतिमाह 15 रू0 टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समैंट) की जाती है तथा निजी औ0प्रशि0 संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिवर्ष 5000/– रू0 की टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति (416 रू0 67 पैसे प्रति माह) की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृति हेतु प्रार्थी के माता–पिता की वार्षिक आय 1.50 लाख रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस छात्रवृति की अदायगी निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा की जाती है।

16.4 भूतपूर्व सैनिकों को 100/–रू0 प्रतिमास तथा उनके आश्रितों को 40/–रू0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है।

16.5 अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, जैन, सिख, पारसी एवं बौद्व धर्म) के योग्य छात्र/छात्राओं को 230/–रू0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति व 10,000/–रु प्रति वर्ष तक की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के मापदण्डो के अनुसार की जाती है। इसके लिये परिवार की सालाना आय 2.00 लाख रु0 से कम होनी अनिवार्य है। यह छात्रवृति अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उनके खाते में दी जाती है। इस छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए अल्प संख्यक वर्ग के दाखिला प्राप्त योग्य छात्र / छात्राएं नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल– www.scholarship.gov.in पर अपलाई कर सकते है तथा योजना की विस्तृत जानकारी www.disabilityaffair.gov.in & www.scholarship.gov.in पर भी देख सकते है।

16.6 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक की संख्या में छात्रों को निर्धनता तथा मैरिट के आधार पर 200/–रू0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है। छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी के परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रु0 से कम होनी अनिवार्य है।

16.7 दाखिला प्राप्त योग्य दिव्यांग छात्र/छात्राओं को 400/–रू0 प्रतिमास छात्रवृति, वाहन भत्ता 160/–रू0 प्रतिमास, अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) रू0 160/-प्रतिमाह (80 प्रतिशत दिव्यांग के लिए) वास्तविक

शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रूपये प्रति वर्ष) सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के मापदण्डों के अनुसार की जाती है। इसके लिये परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रु0 से कम होनी अनिवार्य है। (इस छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय स्कोलरशिप पोर्टल– www.scholarship.gov.in पर अपलाई कर सकते हैं तथा योजना की विस्तृत जानकारी के लिए E-mail disabilityharyana@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है।) यह छात्रवृति Social Justice and Empowerment Department, Haryana द्वारा सीधे ही लाभार्थी छात्र/छात्राओं को दी जाती है।

16.8 सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "Scholarship to Scheduled Caste Students studying in Govt. ITI's." स्कीम के अन्तर्गत दाखिला प्राप्त अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को 200/–रू0 प्रतिमास छात्रवृति तथा 15/–रू0 प्रति माह टयूशन फीस की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस छात्रवृति के लिये परिवार की सालाना आय की कोई सीमा नही है।

16.9 सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त महिलाओं व अनुसूचित जाति से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहनार्थ 1000/–रू0 की Tool Kit निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

नोटः–

1. उपरोक्त छात्रवृतियां केवल हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं के लिए है तथा केवल उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों को देय होगी जिनकी प्रत्येक तिमाही में संस्थान में उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी।
2. छात्रवृति प्रत्येक तिमाही में देय होगी।
3. उपरोक्त छात्रवृतियों बारे सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह चालू वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा।
4. दाखिला प्राप्त छात्र/छात्राएं छात्रवृति हेतु आय प्रमाण पत्र उप–मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया (जहां अनिवार्य है) प्रस्तुत करेगें।
5. उपरोक्त छात्रवृतियों को प्राप्त करने के लिए (16.5 एवं 16.7 के अलावा) योग्य छात्र/छात्राएं विभागीय पोर्टल (http://erp.itihry.com) पर विभाग द्वारा निर्धारित की गई अवधि में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित (दसवीं पास प्रमाण–पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र) On-Line Apply करेंगें।
6. ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत छात्रवृति के लिए योग्य पाए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति की अदायगी लेने के लिये अपने बचत खाते की पासबुक की फोटोप्रति खाता नंबर सहित स्वयं सत्यापित करते हुए प्रधानाचार्य को देनी होगी।
7. छात्रवृति को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लिये आधार कार्ड बनवाना व आधार नंबर को बैंक खाते से सीड (link) करवाना भी अनिवार्य है।

17 संस्थान का समय

सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शनिवार, रविवार व केवल राजपत्रित अवकाश के दिन संस्थान बन्द होंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों को सभी संस्थान खुले रहेंगें।

18 प्रवास सुविधा

उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में संस्थान के मुखिया द्वारा छात्रों का प्रवास एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों को मध्यनजर रखते हुए दाखिले उपरान्त 31 अक्तूबर तक किया जा सकता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही सभी छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में उनका प्रवास दाखिले उपरान्त 31 अक्तूबर तक किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास NCVT व्यवसाय यूनिट में तथा SCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास SCVT व्यवसाय यूनिट में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है। मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास केवल मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में ही किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्रवास हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिस प्रार्थी द्वारा प्रवास हेतु पहले आवेदन किया गया है उसे प्रवास का अवसर पहले प्रदान किया जायेगा। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में दाखिल हुए छात्र/छात्राओं का प्रवास नहीं होगा।

19 **प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष हिदायतें**

19.1 **यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान से बिना किसी सूचना के लगातार दस दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम एक नोटिस देने उपरान्त संस्थान के मुखिया द्वारा काट दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षणार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा।**

19.2 संस्थान से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा से एक रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो छात्र/छात्रा दिन के किसी भाग में संस्थान से अनुपस्थित रहेगा उसे भी उस दिन का एक रूपया जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना त्रैमासिक फीस के साथ देय होगा।

19.3 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत चल रहे सभी राजकीय/निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस को विभाग द्वारा गर्मी व सर्दी हेतु निर्धारित वर्दी पहन कर आएंगे। वर्दी का नमूना व रंग संस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है।

19.4 सत्र 2019–20 की नियमित कक्षांए 01.08.2019 से आरम्भ होंगी। इस तिथि के पश्चात दाखिल होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को दाखिला प्राप्त होने की तिथि के अगले दिन से ही नियमित कक्षाएं लगाना अनिवार्य है।

19.5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल सभी छात्र/छात्राओं को कम्पयूटर प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित फीस देनी होगी तथा यह प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य है।

20. **परीक्षा**

20.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से मान्यता प्राप्त व्यवसाय यूनिटों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा का आयोजन प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है और पास हुये छात्र/ छात्राओं को NCVT का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिन छात्र/छात्राओं का दाखिला SCVT स्कीम के अन्तर्गत होगा उनकी परीक्षा तथा प्रमाण पत्र SCVT स्कीम के अन्तर्गत जारी होगा।

20.2 केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसकी प्रत्येक विषय में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थितियां होंगी।

20.3 जो छात्र/छात्राएं परीक्षा के लिए 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें अगले वर्ष पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा। DGT के निदेशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों को (जिनका नाम 80 प्रतिशत हाजरी पूरी न होने की वजह से कट चुका है) स्वीकृत सीटों के प्रति दाखिले मे वरीयता दी जाएगी ताकि वे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सकें।

20.4 छात्र/छात्रा को 15 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तीन सप्ताह तक का तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 6 सप्ताह तक का चिकित्सा अवकाश सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

20.5 जो प्रशिक्षणार्थी 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी कर लेते है परन्तु किन्ही कारणों से परीक्षा में नहीं बैठ सके तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं।

20.6 प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक MSDE-18011/DGT/2017-TTC, dated 19-04-2018 के अनुसार अगस्त 2018 से दाखिल प्रशिक्षणार्थियों की वार्षिक परीक्षा होगी।

21. **परीक्षा फीस :**

(क) नियमित छात्र	100/– रुपये
(ख) फेल छात्र	100/– रुपये (प्रति अवसर)
(ग) फार्म जमा करवाने की लेट फीस	500/–रुपये
(घ) प्रमाण पत्र की फीस	100/– रुपये

एक वर्षीय व दो वर्षीय पाठयक्रम हेतु छात्र/छात्राओं से केवल एक ही बार परीक्षा शुल्क के साथ ही 100/ रूपये मूल प्रमाण–पत्र का शुल्क लिया जायेगा।

22 **प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र तथा व्यवसाय**

22.1 प्रार्थी प्रत्येक जिले में चल रहे व्यवसायों के बारे में जानकारी जिला स्तर पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा विभाग की वैबसाईट से प्राप्त कर लेवें तथा उसी अनुसार अपना फार्म भरें। प्रत्येक संस्थान में व्यवसाय जो कि NCVT स्कीम के अन्तर्गत चल रहे है, में कितने प्रार्थी दाखिल किए जाने हैं इस बारे में सूचना संस्थान के मुखिया के पास उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर व्यवसायों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो व्यवसाय NCVT स्कीम के अन्तर्गत चलाए गए हैं, केवल उनकी परीक्षा NCVT स्कीम के अन्तर्गत ली जाएगी।

22.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्तिम व्यवसायिक परीक्षा NCVT / SCVT के अन्तर्गत उत्तीर्ण करने उपरांत छात्र/छात्राएं' शिक्षुता अधिनियम–1961' के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ सरकारी विभागों/ निगमों में प्रशिक्षु नियुक्त हो सकते है। अधिनियम का विवरण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मुखिया से प्राप्त किया जा सकता है तथा यह वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in पर भी उपलब्ध है।

22.3 अंतिम परीक्षा पास करने के बाद हर छात्र/छात्रा को अपने संस्थान के सम्बन्धित व्यवसाय अनुदेशक तथा संस्थान के मुखिया से सम्पर्क रखना चाहिए जिससे कि संस्थान के मुखिया उसको शिक्षु लगवाने/नौकरी दिलवाने/स्वंय रोजगार आरम्भ करने के बारे में उचित मार्ग–दर्शन कर सके।

22.4 सत्र 2019–20 में नए व्यवसाय आरम्भ किए जा सकते है तथा वर्तमान संस्थानों के स्वीकृत व्यवसायों में फेर बदल भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में नए संस्थान भी खोले जा सकते हैं व इनमें भी दाखिला सयुंक्त योग्यता सूची से किया जाएगा। आवश्यकता पडने पर दाखिला प्रक्रिया, नियमों एवं दाखिला तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस बारे में नवीनतम सूचना जिला स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य व विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

22.5 जिन व्यवसायों में 6 अथवा 6 से कम दाखिला होगा, उन व्यवसायों में दाखिल छात्र/छात्राओं को उनकी सुविधा अनुसार सम्बन्धित व्यवसायों अथवा नजदीकी संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास/समायोजन NCVT व्यवसाय में तथा SCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास/समायोजन SCVT व्यवसाय में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है ।

–: महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर जमा (submit) करने पर प्रार्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण–पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं एवं जिनमें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है या नवीनतम नियम भी लागू किए जा सकते हैं।

2. यदि किसी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस प्रार्थी का आवेदन/दाखिला निरस्त कर दिया जायेगा।

3. यह देखा गया है कि प्रार्थी अन्य वर्ग/वरीयता कॉलम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः प्रार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई प्रार्थी ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन–पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन जमा (Submit) करने के बाद सशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण प्रार्थी को होने वाली हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

4. ऑनलाइन आवेदन करते समय संस्थान एवं व्यवसाय आदि का चयन सावधानीपूर्वक करें। इसके गलत हो जाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का ही होगा।

5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल प्रार्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।

6. वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पंचकुला में स्थित न्यायालय ही मान्य होगा। प्रार्थी के प्रवेश के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा प्रार्थी विभाग के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।

7. यदि किसी चयनित प्रार्थी के प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं हैं) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि प्रार्थी संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण–पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित प्रार्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व संस्थान/विभाग का नहीं होगा तथा प्रार्थी का चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

8 पहली तीन काउंसलिंग चरण केवल हरियाणा निवासी प्रार्थियों के लिए है, चौथी कांउसलिंग चरण में दाखिले के लिए नये आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे तथा अन्य राज्यों के प्रार्थी भी आवेदन पत्र भर सकते है।

9. द्वितिय कांउसलिंग चरण के बाद सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत सीटों में से रिक्त बची सीटों को संबंधित वर्ग की सीटों में जोड़ दिया जायेगा तथा महिलाओं का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

10. तृतीय कांउसलिंग के बाद आरक्षित कोटे में रिक्त बची सभी सीटों को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

11. प्रार्थी ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क जो कि अप्रतिदेय है (non-refundable) जमा करवायेंगें। यह शुल्क विभाग द्वारा जारी स्क्रेच कार्ड एवं बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड तथा Net banking द्वारा ऑनलाईन माध्यम अथवा सरकार द्वारा अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों (CSC) से भी जमा करवाया जा सकता है।

12. महिला उम्मीदवारों से कोई काउंसलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

13 अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (EWS) के प्रार्थियों से 50/– रू0 एवं सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100/– रू0 counseling शुल्क लिया जाएगा।

14 दाखिले के लिए योग्यता सूची बनाने से पहले प्रार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच नहीं की जायेगी। प्रार्थियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दी गई सूचना को सत्य माना जायेगा तथा यदि बाद में दाखिले के समय प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना गल्त पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे प्रार्थियों के आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे प्रार्थी दाखिले के पात्र नहीं होगें तथा उन द्वारा जमा की गई फीस भी वापिस नहीं की जायेगी।

15. योग्यता सूची के लिए उन्हीं आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जायेगा, जिनकी काउसलिंग फीस जमा हो चुकी है।

16. प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं व चरित्र प्रमाण–पत्र, आरक्षण प्रमाण–पत्र इत्यादि की मूल प्रतियां दाखिले की तिथि को अपने साथ लेकर संस्थान में आयें अन्यथा दाखिला नहीं किया जायेगा जिसके लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

17. जिन प्रार्थियों ने दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा हरियाणा राज्य में स्थित हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से पास की है तथा यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से पास परीक्षा के समकक्ष है, उन्हें हरियाणा निवासी प्रमाण–पत्र दाखिले के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

18. दाखिले हेतु उपलब्ध व्यवसायों / यूनिटों की सूची एवं सीटों की संख्या विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

19. NCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद NCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा जो कि पूरे भारत–वर्ष में मान्य है। SCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद SCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा जो कि केवल राज्य सरकार से ही मान्यता प्राप्त है। अतः SCVT व्यवसाय में दाखिला से पूर्ण प्रार्थी पूर्ण तरह से समझ लें कि इन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद SCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

20. राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में 4 व्यवसाय (Forger & Heat Treater, Litho Offset Machine Minder, Retailing, Watch & Clock Repairer) केवल SCVT से ही सम्बद्ध हैं तथा इनकी NCVT से सम्बद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। SCVT व्यवसाय में दाखिला से पूर्ण प्रार्थी पूर्ण तरह से समझ लें कि इन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद SCVT का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रार्थी कांउसलिंग वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें तथा अपना पंजीकरण पूर्ण करें। ऑन लाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया 27.06.2019 से आरम्भ होगी तथा 12.07.2019 तक प्रार्थी आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल नये पंजीकरण के लिए बंद कर दिया जाएगा।

2. प्रार्थी ऑनलाईन आवेदन से पहले सभी दिशा–निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा उनसे सहमत होने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।

3. अगर प्रार्थी को आनॅलाईन आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो वह दाखिले के लिए बनाए गए सहायता केन्द्र से मदद ले सकता है। दाखिले में सहायता के लिए दूरभाष नं0 दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन फार्म भरने की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

4. आनॅलाईन पंजीकरण के लिए प्रार्थी को निम्नलिखिति सूचनांए भरनी आवश्यक है ताकि यह सूचना बाद में सीट आवंटन हेतु प्रयोग की जा सके।

   आवेदक का नाम, लिंग, आरक्षण वर्ग (पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति इत्यादि), शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं में प्राप्त अंक), पिता/माता का नाम, व्यवसाय/संस्थान का चयन, मोबाईल नं0 इत्यादि।

   प्रार्थी इन सब सूचनाओं को पोर्टल पर भरने से पहले भली–भांति चैक कर लें। एक बार ये सब सूचनांए पोर्टल पर भरने उपरांत इनमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा तथा किसी भी गलती के लिए प्रार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा। उपरोक्त सभी सूचनांए पोर्टल पर भरने के बाद प्रार्थी को उपयोगकर्ता/पासवर्ड का SMS दिए गए मोबाईल नं0 पर प्राप्त होगा। प्रार्थी को यह विशेष हिदायत दी जाती है कि वे अपने पंजीकरण का पासवर्ड गोपनीय रखें तथा उसे अपने तक ही सीमित रखें ताकि कोई अन्य इसका दुरूपयोग न कर सके तथा इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5. ऑनलाईन दाखिले का पंजीकरण केवल एक बार ही किया जाएगा तथा यह पहले चार चरणों में ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए मान्य होगा।

6. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रार्थी अपने भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें तथा इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसके साथ प्रार्थी पंजीकरण के लिए बनाया पासवर्ड भी सुरक्षित रखें।

7. केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को दाखिले हेतु स्वीकार किया जाएगा जिनका कांउसलिंग शुल्क निर्धारित समय सीमा में जमा किया गया है।

8. फीस जमा करवाने के बाद प्रार्थी कांउसलिंग पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें तथा दाखिले हेतु अपनी इच्छानुसार व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन करते हुए उन्हें अपनी वरीयता अनुसार क्रम में लगाएं।

<u>पंसद अनुसार व्यवसाय तथा संस्थान चुनना</u>

9 प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग–2 व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवसाय/संस्थान के ज्यादा से ज्यादा (अधिकतम 15) विकल्प भरें ताकि उन्हें पहली ही कांउसलिगं में सीट आंविटत हो सके।

10 प्रार्थियों को अपनी पसंद अनुसार चुने गए व्यवसायों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वरीयता के क्रम में लगाकर एक निर्धारित तिथि तक लॉक करना अनिवार्य है ताकि यह सूचना सीट आवंटन/योग्यता सूची तैयार करने हेतु उपलब्ध हो सकें। प्रार्थियों को समय–समय पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने द्वारा दिए गए विकल्पों को दाखिला वैबसाईट पर जमा करा दें।

<u>सीट आवंटन</u>

11 ऑनलाईन दाखिले के लिए पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्धारित की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। यह आबंटन प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग, चुने गए व्यवसाय/संस्थान तथा संस्थानों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों पर निर्भर होगा। यह सीट आबंटन पूर्णतयाः अस्थायी होगा।

योग्यता सूची तथा सीट आंवटन

12 योग्यता सूची के आधार पर किया गया सीट आवंटन निर्धारित तिथि को घोषित किया जाएगा तथा यह दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रार्थी ऑनलाईन कांउसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपने अस्थायी सीट आवंटन पत्र की प्रति ले सकते हैं।

(यह सीट आवंटन पूर्णतयाः अस्थायी है तथा प्रार्थी के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्रों की जांच पड़ताल, संस्थान में दाखिले के दिन उपस्थित होने एवं शुल्क जमा करवाने पर निर्भर है)

सीट आवंटित की सूचना सभी प्रार्थियों को SMS द्वारा भी प्रदान की जाएगी जिन्होनें पंजीकरण के समय अपना सही मोबाईल नंबर दिया है।

दाखिले के लिए संस्थान में रिपोर्ट करना

13 प्रार्थी अपना अस्थायी सीट आवंटन पत्र लेकर तथा उस पर अपनी नवीनतम फोटो लगाकर निर्धारित तिथि अनुसार दर्शाए गए संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। सभी मूल प्रमाण–पत्रों की जांच सही पाई जाने के बाद प्रार्थी संस्थान में दाखिले के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाएंगे ताकि उन्हें आवंटित सीट पर दाखिला दिया जा सके।

14 यदि प्रार्थी द्वारा दाखिले के लिए निर्धारित समय सीमा पर मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसे प्रार्थी के दाखिले पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सीट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदन पत्र को अगले दाखिला चरणो में शामिल नहीं किया जाएगा।

15 यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण–पत्र सही पाए जाते हैं तो शुल्क जमा करने के बाद सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रार्थी को दाखिला पत्र प्रदान करेगी।

(कोई भी छात्र यदि पहली कांउसंलिग में सीट आंवटन से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरी कांउसलिंग में भाग ले सकता है। इस स्थिति मे छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और छात्र द्वारा दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा)

16 यदि कोई प्रार्थी पहली कांउसलिंग के बाद निर्धारित तिथि पर संस्थान में आवंटित सीट के प्रति दाखिला लेने अथवा मूल प्रमाण–पत्रों की जांच पड़ताल के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा तथा इस सीट के लिए प्रार्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ऐसे प्रार्थी अन्य किसी भी कांउसलिगं चरण में भाग नहीं ले पांएगे।

17 दूसरी, तीसरी एवं चौथी कांउसलिंग में सीट आवंटन के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा यदि इसके पश्चात भी सीटें शेष रह जाती हैं तो अन्तिम दाखिला संस्थान स्तर पर किया जा सकता है जिसके लिए सूचना समाचार पत्रों में तथा विभाग की वैबसाईट पर जारी की जाएगी।

निदेशक,
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

District wise List of all Govt. & Pvt. ITIs alongwith trades / seats is available on admission website www.itiharyana.gov.in

Note: Any trades / units can be closed and new trades can be opened in any Govt. ITI / Private ITI without any prior notice. Trade-wise sanctioned seat available for admission for session 2019-20 can be viewed on deparetmetnal website.

Following Pvt. ITIs are for women candidates only:-

1. **Ladies Industrial Home Seva Samiti PITI, Mandir Marg, Head Post Office, Karnal,**
2. **Kasturba PITI, Radaur, Yamuna Nagar,**
3. **Women League ITC, Nehru Park, Model Town, Yamuna Nagar,**
4. **Sant Nikka Singh PITI, Nirmal Dham Model town, Karnal**

Note: Admission to Army Pvt. ITI, Ambala Cantt shall be done only for War Widows, Widow of ESM and their dependents, dependents of Ex-servicemen / serving Defence Personnels, Wards of Ex-Paramillitary Force / Serving Paramilitary forces personnels belonging to Haryana.

नोट :– दशमेश प्राईवेट आई0टी0आई0 गांव करामी, कुरूक्षेत्र को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए 50 प्रतिशत सीटें सिक्ख समुदाय के छात्रों हेतु आरक्षित हैं तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें आरक्षण पोलिसी अनुसार भरी जाएंगी।

Annexure-A

(List of Engineering & Non-Engineering trades)

Sr. No.	Trade	Trade type	Course duration	Entry qualification	NSQF level	Unit size	Suitable PH category
1	Architectural Draugthsman	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics	5	24	OH(LL), HH (P)
2	Basic Cosmetology	Non-Engg	1 Yr	Pass 10th Class	4	24	OH (LL), HH (P)
3	Blockchain Assistant	Non-Engg	1 Yr	10+2 with Math, Non Madical, Commerce		24	
4	Carpenter	Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	24	OH(LL),HH
5	Catering & Hospitality Assistant	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	20	HH(P)
6	Computer Aided Embroidery and Designing	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	20	OH,HH
7	Computer Hardware & Network Maintenance	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics	4	24	NA
8	Computer Operator and Programming Assistant	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination	4	24	OH,HH,LV
9	Craftsman Food Production (General) or Food Production (General)	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 System of education	4	24	OH,HH
10	Dental Laboratory Technician	Non-Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 System of education	5	24	Not suitable
11	Desktop Publishing Operator	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	24	OH, HH

12	Draughtsman (Civil)	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics or its equivalent.	5	24	OH (LL), HH(P)
13	Draughtsman (Mechanical)	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	24	OH (LL), HH(P)
14	Dress Making	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	20	OH, HH
15	Electrician	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics or its equivalent.	5	20	OH,LV,HH
16	Electronics Mechanic	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	5	24	OH,HH
17	Electroplater	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics	5	20	OH,LV
18	Fashion Design & Technology	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	4	20	OH,HH
19	Fire Technology and Industrial Safety Management	Non-Engg	1 Yr	a. Passed class 10th class Examination under 10+2 system of Education or its equivalent. b. The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cmiv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	4	24	Not suitable
20	Fitter	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	20	OH,LV/ Blind,HH
21	Footwear Maker	Non-Engg	1 Yr	Pass 10th Class	4	20	
22	Forger & Heat Treater (SCVT only)	Non-Engg.	1 Yr	Passed 10th class examination		20	NA

23	Foundryman Technician	Engg	1 Yr	Pass in 10th Class under 10+2 system of Education	4	20	HH(P)
24	Front office Assistant	Non-Engg	1 Yr	Pass in 10th Class under 10+2 system of Education	4	24	OH, LV
25	Finance Executive	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 System of education.	4	24	
26	Food & Beverages Services Assistant	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination		20	LV
27	Geo- Informatics Assistant	Non-Engg.	1 Yr	Passed 12th class examination under 10+2 system of education with Mathematics in matriculation	5	24	OH,HH,LV
28	Health Safety & Environment (only in Pvt. ITI)	Non-Engg	1 Yr	a) Passed class 10 Examination under 10+2 system of eduaction b) The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	4	24	NA
29	Health Sanitary Inspector	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	4	24	OH(OA)
30	House keeper (only in Pvt. ITI)	Non-Engg.	1 Yr	Pass in 10th Class under 10+2 system of Education	4	24	NA
31	Information Communication Technology System Maintenance	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	5	24	OH,LV
32	Information Technology	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	5	24	NA
33	Instrument Mechanic	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	5	24	OH,HH
34	Interior Design & Decoration	Engg	1 Yr	Passed 10th class under 10+2 System with Science & Mathematics or its equivalent	4	24	OH,HH

35	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class Examination under 10+2 system of education with science and mathematics and equivalent.	5	20	OH, HH
36	Leather Goods Maker	Non-Engg	1 Yr	Pass 10th Class	4	20	OH,HH
37	Lift and Escalator Mechanic	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics or its equivalent.	5	20	HH(P)
38	Litho Offset Machine Minder	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination		20	OH, LV
39	Machinist	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	16	OH,LV,HH
40	Machinist (Grinder)	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	16	OH,LV,HH
41	Mechanic (Motor Vehicle)	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its Equivalent	5	20	OH,HH
42	Mechanic (Refrigeration & Air-conditioning)	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination	5	24	OH,LV
43	Mechanic (Tractor)	Engg	1 Yr	Passed 10th class examination with Maths and Science	4	20	OH,LV,HH
44	Mechanic Agricultural Machinery	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination with Maths and Science	4	20	OH,LV
45	Mechanic Auto Body Painting	Engg	1 Yr	Passed class 10th Exam. Under 10+2 system of Education or its Equivalent	4	20	NA
46	Mechanic Auto Body Repair	Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	4	20	NA
47	Mechanic Consumer Electronics Appliances	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	5	24	OH, HH
48	Mechanic Diesel Engine	Engg	1 Yr	Passed 10th class examination with maths and Science	4	20	OH,LV,HH

49	Mechanic Machine Tools Maintenance	Engg	2 Yrs	Passed class 10th Exam. Under 10+2 system of Education or its Equivalent	5	20	OH
50	Multimedia Animation & Special Effect	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	4	24	OH(LL)
51	Operator Advance Machine Tool	Engg.	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	5	16	OH (LL),HH(P)
52	Painter General	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	5	20	OH,HH
53	Physiotherapy Technician	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	4	20	OH,HH,LV
54	Plastic Processing Operator	Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	4	20	OH,HH,LV
55	Plumber	Engg	1 Yr	Appeard 10th class examination ynder 10+2 system of education	4	24	OH,HH,LV
56	Radiology Technician	Non-Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under the 10+2 system of education.	5	20	Not suitable
57	Retailing (SCVT only)	Non-Engg.	2 Yrs	Passed 10th class examination		20	NA
58	Sewing Technology	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	20	OH,HH,LV
59	Sheet Metal Worker	Engg	1 Yr	Pass 10th Class	3	20	OH,HH,LV
60	Spa Therapy	Non-Engg.	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	24	NA
61	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination	4	24	OH,LV/ Blind
62	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	4	24	OH,LV/ Blind
63	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th Class	4	20	OH,HH,LV
64	Surveyor	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	5	24	OH(OA),HH

65	Solar Technician (Electrical)	Engg.	1 Yr	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	4	20	OH,LV,HH
66	Soil Testing & Crop Technician	Non-Engg	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	4	24	NA
67	Technician Power Electronic System	Engg	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education	5	24	NA
68	Technician Mechatronics	Engg.	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	24	
69	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	20	OH
70	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	20	OH
71	Turner	Engg	2 Yrs	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	5	16	OH,HH,LV
72	Watch & Clock Repair (SCVT only)	Non-Engg.	1 Yr	Passed 10th class examination with Maths and Science		20	NA
73	Welder (Fabrication & Fitting)	Engg	1 Yr	Pass 10th Class	3	20	NA
74	Welder (GMAW & GTAW)	Engg	1 Yr	Pass 10th Class	3	20	NA
75	Welder (Pipe)	Engg	1 Yr	Pass 10th Class	3	20	NA
76	Welder (Welding & Inspection) (only in Pvt. ITI)	Engg	1 Yr	Pass 10th Class	3	20	NA
77	Welder	Engg	1 Yr	Pass 10th Class Examination	4	20	OH,HH
78	Wireman	Engg	2 Yrs	Pass 10th Class	4	20	OH,HH,LV

Annexure-B

List of trades under Dual System of Trainning				
Sr. No	**Institute**	**Trade**	**Units**	**Industry partner**
1	Govt. ITI Faridabad	Fitter	1	Shahi Exports Pvt. Ltd.
		Fitter	1	Star Wire India Ltd.
		Machinist	1	Victora Auto Pvt. Ltd.
		Machinist	1	Star Wire India Ltd.
		Machinist	1	India Yamaha Motor Pvt. Ltd.
		Mechanic Diesel Engine	1	Escorts Ltd.
		Sewing Technology	1	Shahi Exports Pvt. Ltd.
		Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	1	JBM Auto Ltd. As Industry Partner
		Turner	1	Star Wire India Ltd.
		Welder	1	JBM
		Welder	1	Star Wire India Ltd.
		Welder	1	Imperial Auto Industries Ltd.
		Welder	1	Indo Autotech Ltd.
2	Govt.ITI Gurugram	Fitter	1	M/s Rico Auto
		Machinist	1	M/s Rico Auto
		Turner	1	Munjal Showa
		Welder	1	Munjal Showa
3	Govt. ITI Hathin	Sheet Metal Worker	1	Victora Auto Pvt. Ltd.
4	Govt. ITI Hisar	Fitter	1	Ravinder Tubes
		Fitter	1	Jindal Supreme
		Mechanic Diesel Engine	1	OM Diesel Pvt. Ltd.
5	Govt. ITI Kaithal	Turner	1	Swastik Industries
6	Govt.ITI Kharkhoda	Mechanic Diesel Engine	1	Om Diesel Pvt. Ltd. (Rohtak)
7	Govt. ITI Kushak	Welder	1	Imperial Auto Industries Ltd.
8	Govt. ITI Meham	Fitter	1	Deep Precision
		Fitter	1	Sahyog Engg. Industries
		Turner	1	Deep Precision
		Turner	1	Sahyog Engg. Industries

9	Govt. ITI Nagina	Welder	1	Hyline Auto Pvt. Ltd.
10	Govt. ITI Palwal	Fitter	1	Shivani locks
		Welder	1	Jaycee
11	Govt. ITI Panchkula	Food Production (General)	1	Hotel Pallavi
		Catering & Hospitality Assistant	1	Hotel Pallavi
12	Govt. ITI Panipat	COPA	1	Mahakan Overseas Pvt.
13	Govt. ITI Punhana	Plastic Processing Operator	1	Aashima Paper Products
14	Govt. ITI Rawaldhi	Mechanic Diesel Engine	1	OM Diesel Pvt. Ltd. (Rohtak)
15	Govt. ITI Sohna	Mech. R&AC	1	Subros Ltd.
		Welder	1	JBM Auto
16	Govt. ITI Sirsa	Mechanic Diesel Engine	1	Garg motors
		Welder	1	HSF Food Pro Tech. Pvt. Ltd.
		Electrician	1	
		Fitter	1	
17	Govt. ITI Sonipat	P.P.O.	1	JSG Innotech
		Tool & Die Maker (Dies & Modules)	1	JSG Innotech
Total			**44**	
NCVT units will be released under Dual System of Training for session 2019-20				

Annexure-C

(List of 52 PPP Govt. ITIs)

Sr. No	District	Govt. ITI name
1	Ambala	Govt. ITI Barara
2		Govt. ITI MC Amb Cantt.
3	Bhiwani	Govt. ITI Bhiwani
4		Govt. ITI Bhiwani (W)
5		Govt. ITI Tosham (W)
6	Charkhi Dadri	Govt. ITI Charkhi Dadri (W)
7	Faridabad	Govt. ITI Pali
8		Govt. ITI Faridabad (W)
9	Fatehabad	Govt. ITI Tohana (W)
10	Gurugram	Govt. ITI Sohna
11		Govt. ITI Gurugram (W)
12	Hisar	Govt. ITI Adampur
13		Govt. ITI Barwala
14		Govt. ITI Nalwa
15		Govt. ITI Adampur (W)
16		Govt. ITI Hansi (W)
17		Govt. ITI Hisar (W)
18	Jhajjar	Govt. ITI Bahadurgarh
19		Govt. ITI Bhaprauda
20		Govt. ITI Bahadurgarh (W)
21		Govt. ITI Jhajjar (W)
22	Jind	Govt. ITI Jind (W)
23	Kaithal	Govt. ITI Kaithal
24		Govt. ITI Pundri
25		Govt. ITI Kaithal (W)
26	Karnal	Govt. ITI Ballah
27		GITI Nissing
28	Kurukshetra	Govt. ITI Kurukshetra
29		Govt. ITI Kurukshetra (W)
30	Mahendragarh	Govt. ITI Mahendergarh
31		Govt. ITI Narnaul
32		Govt. ITI Mahendergarh(W)
33		Govt. ITI Narnaul(W)

34	Nuh	Govt. ITI Ferozpur Zirka
35		Govt. ITI Nagina
36	Palwal	Govt. ITI Hathin
37	Panchkula	Govt. ITI Kalka at Bitna
38		Govt. ITI Kalka at Bitna(W)
39	Panipat	Govt. ITI Panipat(W)
40		Govt. ITI Samalkha(W)
41	Rewari	Govt. ITI Kund Manethi
42		Govt. ITI Rewari(W)
43	Rohtak	Govt. ITI Hassangarh
44		Govt. ITI Makrolikalan
45		Govt. ITI Meham
46		Govt. ITI Rohtak (W)
47	Sirsa	Govt. ITI Chautala
48		Govt. ITI Nathusari Chopta
49		Govt. ITI Sirsa (W)
50	Sonipat	Govt. ITI Gannaur
51		Govt. ITI Sonipat (W)
52	YamunaNagar	Govt. ITI Sadhora

INCOME CERTIFICATE

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) / EXECUTIVE MAGISTRATE

As reported by Tehsildar/Naib Tehsildar, the annual income of Sh. ------------------- ------------------- Father /Husband of Sh./Smt.-- Resident of --- from all sources is Rs. - -------------------- (Rupees-- ----------)

Place:

Date:

Sub Divisional Officer (C) / Executive Magistrate.

NOTICE

FOR ATTENTION OF ADMISSION SEEKERS TO NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING (NCVT) APPROVED TRADES INGovt. /Privte ITIs.

All admission seekers to NCVT approved various trades (Engineering/Non-Engineering), are advised in their own interest that they should confirm and satisfy themselves before seeking admission to any trade that the trade / unit in the Industrial Training Institute (Govt.) / Industrial Training Institute (Pvt.) {GITIs/PITIs} is affiliated to NCVT. The students of trades / units which are NCVT affiliated on the date of admission are only eligible for appearing in All India Trade Test for the award of National Trade Certificate.

The List of affiliated trades / units is available with respective institutes and respective State Directorates.

It is also informed in the interest of general public that NCVT/Govt. of India do not recognize any GITI / PITI. NCVT affilates only the trades and its units run by a particular GITI/PITI.

Deputy Director General (Training)
Dated:-DGT, Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India

NOTICE

Circular No. Exam/4/SCVT/Rules/Part-II Dated 27.8.09

“The certificates isssued by State Council of Vocational Training is equivalent to the certificate issued by National Council of Vocational Training except for the purposes of Schemes / programmes which are affiliated / governed / controlled / run by Govt. of India (like NCVT affiliation or implementation of Apprenticeship Training scheme or admissions in institutes run by Govt. of India like ATI / CTI / RVTI / NCTI etc.)”

Director General
Skill Development & Industrial Training Department,
Haryana

संस्थान में रैगिंग करना व धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है।

-